164

संख्या/207/XXX(2)/2013

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनःदिनांक 18 नवम्बर, 2013

विषयः– विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सरकारी सेवकों को प्रशिक्षण, सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने की अनुमति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 662/का–2/2002 दिनांक 18 जुलाई, 2002, संख्या 1009/का0–2/2003, दिनांक 08 जुलाई, 2003, संख्या 2826/ XXX(2)/2005 दिनांक 24 सितम्बर, 2005 तथा संख्या 3493/XXX(2)/2005 दिनांक 09 नवम्बर, 2005 के माध्यम से व्यापक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा समस्त प्रयोजनों के सम्बन्ध में अनुमोदन की प्रकिया एवं अनुमोदन का स्तर भी निर्धारित किया गया है। साथ ही वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(6) के दृष्टिगत वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–296/XXVII(7)बा.से./2009, दिनांक 11 नवम्बर, 2009द्वारा विदेश यात्राओं के मामले में वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त उच्चानुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत किये जाने के निर्देश जारी हुए हैं। विदेश यात्रा के सम्बन्ध में पुनः शासनादेश संख्या–554/XXX(2)/2012, दिनांक 20 जुलाई, 2012 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, प्रादेशिक सिविल सेवा, विभागाध्यक्ष एवं निगमों के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के विदेश भ्रमण कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। प्रायः यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि कतिपय विभागों द्वारा विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश यात्रा सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण एवं निस्तारण उक्त सन्दर्भित शासनादेशों में निहित प्राविधानों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रस्ताव कार्मिक विभाग को न भेजकर स्वयं अपने स्तर से ही समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त केवल आदेश निर्गत करने हेतु पत्रावली अत्यन्त अल्प समय में कार्मिक विभाग को सन्दर्भित की जाती है। यह प्रकिया अत्यन्त आपत्तिजनक एवं शासनादेशों का स्पष्ट उलंघन है। भविष्य में यदि इस प्रकार के कोई प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो इसे शासन के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता माना जायेगा।

3– कृपया विदेश यात्रा से सम्बन्धित उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा जिन मामलों में कार्मिक विभाग के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना हो, ऐसे विदेश यात्रा से सम्बन्धित प्रस्ताव संगत पत्रावली में प्रस्तावित विदेश यात्रा की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व कार्मिक विभाग को सन्दर्भित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)

संख्या 1207(1)/XXX(2)/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3– समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
6– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी सचिवालय परिसर देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।